

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रपत्र- 2.2

भाग- III
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या अनुसार संस्तुति की जाती है।

तिथि 17/05/2022

स्थान हल्द्वानी।


(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी